मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय

दिनांक 25.8.22

//सूचना//

क्रमांक – एफ 3/09/2022/18-5 -एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है । अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेवसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा :–

1– अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास, द्वितीय तल एनेक्सी-2, मंत्रालय भोपाल

2– आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

3– कलेक्टर जिला ग्वालियर

4– आयुक्त, नगर पालिक निगम ग्वालियर

5– संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर

<u>।। उपांतरणों का विवरण ।।</u>

1– ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कंडिका 5.8.3 में उल्लेखित 24.00 मीटर के स्थान पर 18.00 मीटर प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

2– ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कंडिका 5.13.1 (ब) की सारिणी के नोट में उल्लेखित 24.00 मीटर के स्थान पर 18.00 मीटर प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

3– ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कंडिका 5.13.2 (2) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है -

"पूर्व से अनुमोदित अभिन्यास के भू-खण्ड यदि विकास योजना में मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं तो उनका उपयोग परिवर्तन, परिवर्तन शुल्क एवं पार्किंग प्रीमियम की राशि संबंधित स्थानीय निकाय में जमा कर कराया जा सकेगा। परिवर्तन शुल्क एवं पार्किंग प्रीमियम का निर्धारण संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा। किन्तु इस हेतु न्यूनतम दर (राशि) राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट की जावेगी।"

4– (i) ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 के रंगीन मानचित्र क्रमांक 4.1 में ग्राम नीम चंदोहा में शिवपुरी लिंक मार्ग से दक्षिण की ओर प्रस्तावित हरित क्षेत्र तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग को मार्ग द्वारा पृथक

करते हुये 18.0 मीटर चौड़ाई का नवीन मार्ग ग्वालियर-शिवपुरी रेल्वे लाईन के समीप प्रस्तावित 30.0 मीटर मार्ग तक प्रस्तावित है।

(ii) ग्वालियर विकास योजना 2035 (प्रारूप) के प्रस्तावित भूमि उपयोग के रंगीन मानचित्र क्रमांक 4.1 में एयरफोर्स के समीप प्रस्तावित चार एयरफनल के स्थान पर संस्पर्शी उपयोग आवासीय प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

5– ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कंडिका 5.20 के नोट (4) को विलोपित किया जाना तथा नोट (1) एवं (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :–

नोट :-

1) उपरोक्त सारिणी 5-सा-9 के कॉलम 3 में उल्लेखित बेस FAR से अधिक FAR Premium on FAR एवं/अथवा TDR नियमों के तहत ही देय होगा ।

2) Premium on FAR की दर निम्नानुसार संगणित की जाएगी -

किसी भू-खण्ड हेतु प्रीमियम द्वारा क्रय किये जाने वाले अतिरिक्त निर्माण योग्य क्षेत्रफल की मात्रा हेतु राशि (रुपयों में)	कलेक्टर दिशा निर्देश दर × वांछित निर्माण योग्य क्षेत्रफल × 0.5

6- ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कण्डिका 5.21 (संवेदन शील क्षेत्रों हेतु नियमन) के बिन्दु क्रमांक 7(ब) के पश्चात् नवीन बिन्दु क्रमांक 8 निम्नानुसार जोड़ा जाना प्रस्तावित है :-

8- वायुसेना स्टेशन महाराजपुरा ग्वालियर के शिखर और बाह्य चार दीवारी से 100 मीटर के भीतर भवन, ढांचा निर्माण एवं वृक्षारोपण प्रतिबंधित रहेंगे । उक्त प्रतिबंध को आयुद्य भण्डारण क्षेत्र में 900 मीटर तक बढ़ाया जा सकेगा ।

उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किया जा सकता है, समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डॉ. शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग